भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1800

01 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पंजाब में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

1800. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के आरंभ से इस पर खर्च की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में पीएमएवाई-यू के आरंभ होने की तिथि से लाभार्थियों को आवंटित किए गए आवासों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत समय-सीमा के भीतर उपयोग न की गई कुल आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नागरिकों के लिए लागू किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से लागू किया जाता है। पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 22.07.2024

तक शहरी क्षेत्रों में 85.04 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, इस योजना के ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक को छोड़कर, इस योजना की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा किया जा सके।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों के निर्माण के लिए कुल 1,99,652 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,64,125.04 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और शुरुआत से अब तक 1,51,369 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

पंजाब राज्य के लिए कुल 1,32,235 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,16,264 आवास निर्माणाधीन हैं और योजना की शुरुआत से अब तक 83,894 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पंजाब राज्य को पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटकों के तहत आवासों के निर्माण के लिए कुल 1,212.71 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 691.85 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान में राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के खातों में व्यय के लिए 59.81 करोड़ रुपये की खर्च न की गई शेष राशि (राज्य के हिस्से सहित) उपलब्ध है।

***